

4 अक्टूबर, 2021

कार्यकारी आदेश 2021-26

कार्यकारी आदेश 2021-26

जबकि, राज्य का अशक्त लोगों, जिनमें उल्लेखनीय अशक्तताओं से ग्रस्त लोग शामिल हैं, के लिए अर्थपूर्ण रोज़गार, वेतन निष्पक्षता, और गरिमा की सुगम्यता सुनिश्चित करने में हित है; और,

जबकि, राज्य उपयोग कार्यक्रम (State Use Program) इलिनॉय राज्य के सभी अभिकरणों को उल्लेखनीय अशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्तियों को रोज़गार देने वाले अर्ह अलाभ अभिकरणों द्वारा उत्पादित या प्रदत्त उत्पाद और सेवाएं खरीदने को प्रोत्साहित करता है; और,

जबकि, ऐसी खरीद को प्रोत्साहित करने के द्वारा, राज्य उपयोग कार्यक्रम (State Use Program) उल्लेखनीय अशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्तियों को दीर्घकालिक रोज़गार के अवसर प्रदान करता है; और,

जबकि, जब राज्य अभिकरण अशक्त व्यक्तियों को न्यूनतम वेतन से कम वेतन का भुगतान करने वाले प्रमाणित अलाभ अभिकरणों से उत्पाद एवं सेवाएं खरीदने के अनुबंध करते हैं तो इससे वर्तमान राज्य उपयोग कार्यक्रम (State Use Program) द्वारा पक्षपात को स्थायित्व मिलता है; और,

जबकि, अधिकांश प्रतिभागी राज्य उपयोग कार्यक्रम नियोजक अपने सभी कर्मचारियों को पहले ही कम-से-कम लागू इलिनॉय या स्थानीय न्यूनतम वेतन का भुगतान करते हैं; और,

जबकि, इलिनॉय राज्य यह आवश्यक करके राज्य उपयोग कार्यक्रम (State Use Program) में भाग लेने वाले अलाभ अभिकरणों द्वारा नियुक्त अशक्त व्यक्तियों के लिए गरिमा, निष्पक्षता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे सकता है कि उन्हें कम-से-कम लागू इलिनॉय या स्थानीय न्यूनतम वेतन की दर से भुगतान किया जाए; और,

जबकि, राज्य उपयोग कार्यक्रम के वेंडर अपने कर्मचारियों को कम-से-कम लागू स्थानीय या इलिनॉय न्यूनतम वेतन का भुगतान करने से जुड़ी लागतों की पूर्ति कर सकते हों यह सुनिश्चित करने के लिए उत्पादों और सेवाओं के अनुबंधों में संशोधन करने के द्वारा इलिनॉय राज्य के अभिकरण अशक्त व्यक्तियों के लिए रोज़गार की सुरक्षा कर सकते हैं; और,

जबकि, अशक्त व्यक्तियों को कम-से-कम न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जाए यह सुनिश्चित करना उन कई कदमों में से एक है जो सभी व्यक्तियों के लिए निष्पक्षता, आत्मनिर्भरता, और गरिमा की साझा मान्यताओं को आगे बढ़ाने के लिए उठाए जा सकते हैं;

अतः, इलिनॉय राज्य के राज्यपाल के रूप में मुझमें निहित शक्तियों द्वारा, इलिनॉय संविधान के अनुच्छेद V, धारा 8 में सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण के अनुसार, मैं इसके द्वारा निम्नानुसार आदेश देता हूँ:

अनुभाग 1. राज्य उपयोग कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे अलाभ अभिकरण वेंडरों और उपठेकेदारों द्वारा न्यूनतम वेतन का भुगतान

इलिनॉय राज्य द्वारा 30 ILCS 500/45-35 के अनुसरण में राज्य उपयोग कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अर्ह किसी भी अलाभ अभिकरण के साथ किए गए सभी वर्तमान एवं भावी अनुबंधों में, अनुबंध पर कार्य निष्पादन करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए कम-से-कम लागू स्थानीय न्यूनतम वेतन, यदि अधिक हो, या इलिनॉय न्यूनतम वेतन के भुगतान का उपबंध होगा, ऐसे किसी भी उपबंध के बावजूद जो निम्नतर वेतन दर पर भुगतान की अनुमति देता हो। यह आवश्यकता अनुबंध पर कार्य निष्पादन करने वाले किसी भी उपठेकेदार के कर्मचारियों पर लागू होगी व उन्हें शामिल करती है।

वेतनों को लागू स्थानीय न्यूनतम वेतन, यदि अधिक हो, या इलिनॉय न्यूनतम वेतन के बराबर या उससे ऊपर लाने के लिए इलिनॉय राज्य के अभिकरणों को राज्य उपयोग कार्यक्रम में शामिल उन वेंडरों जो वर्तमान में कर्मियों को न्यूनतम वेतन से कम का भुगतान करते हैं, से किए गए अनुबंधों में संशोधन के प्रयोजनों से मूल्य समायोजन का प्राधिकार प्रदान किया जाएगा। इस कार्यकारी आदेश के प्रयोजनों के लिए "इलिनोइस राज्य के अभिकरणों" का अर्थ राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र के तहत इलिनोइस राज्य की कार्यकारी शाखा का कोई भी कार्यालय, विभाग, एजेंसी, बोर्ड, आयोग या अधिकार है।

किसी भी वेंडर या उपठेकेदार द्वारा किसी राज्य उपयोग कार्यक्रम अनुबंध में कार्य निष्पादन के लिए नियुक्त किए गए प्रत्येक व्यक्ति को कम-से-कम लागू स्थानीय न्यूनतम वेतन, यदि अधिक हो, या इलिनॉय न्यूनतम वेतन मिले यह सुनिश्चित करने के लिए और कोई भी अन्य आवश्यक वेतन समायोजन करने के लिए इलिनॉय केंद्रीय प्रबंधन सेवाएं विभाग (Department of Central Management Services) राज्य उपयोग समिति से समन्वयन के साथ मौजूदा अनुबंधों में संशोधन करने हेतु उपयुक्त कदम उठाएगा।

राज्य उपयोग समिति इस सरकारी आदेश की प्रतिक्रियास्वरूप प्रस्तुत समस्त वेतन एवं मूल्य-निर्धारण समायोजनों की समीक्षा करके यह सुनिश्चित करेगी कि वे निष्पक्ष और उचित हों तथा वे किसी प्रतिस्पर्धात्मक ढंग से निवेदित मूल्य से उल्लेखनीय रूप से अधिक न हों। मूल्य समायोजन अर्ह राज्य उपयोग वेंडरों या उनके ठेकेदारों द्वारा नियुक्त और किसी इलिनॉय राज्य अनुबंध पर कार्य निष्पादन कर रहे अशक्त व्यक्तियों की रोजगार स्थिति कायम रखने के साथ जुड़ीं वर्धित लागतों को प्रतिबिंबित करेंगे।

अनुभाग 2. व्यावृत्ति खंड (सेविंग्स क्लॉज़)

इस कार्यकारी आदेश में मौजूद किसी भी बात का अर्थ किसी भी राज्य या संघीय कानून या किसी सामूहिक सौदेबाजी समझौते का उल्लंघन के रूप में नहीं निकाला जाएगा।

अनुभाग 3. विच्छेदनीयता

यदि इस सरकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी अन्य प्रावधान या इस सरकारी आदेश के लागू करने को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अवैध प्रावधान के या आवेदन के प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस सरकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया गया है।

अनुभाग 4. प्रभावी तारीख

यह कार्यकारी आदेश राज्य सचिव (Secretary of State) के पास दाखिल होने के तुरंत बाद प्रभावी होगा और समाप्त या संशोधित होने तक प्रभावी रहेगा।

(गवर्नर)

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), राज्यपाल

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा 4 अक्टूबर, 2021 को जारी
राज्य सचिव (Secretary of State) द्वारा 4 अक्टूबर, 2021 को दायर